बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में संशोधन।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना।–

चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" की धारा-8 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाना है।

और चूँकि बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई में एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें गणतंत्र में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**–(i) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026" कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-8 में एक नया परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगाः—

"परन्तु यह भी कि आयोग, बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। उक्त नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी"

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा–08 में यथा प्रावधानित "आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा–सम्मिलित, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह –'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।

परन्तु आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय–समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।" के बाद एक नया परन्तुक जोड़ते हुए बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है।

इसलिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–8 को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)
भार-साधक सदस्य।

Bihar Technical Service Commission (amendment) Bill, 2026

A

BILL

to amend the BiharTechnical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time).

Preamble :-

WHEREAS, Since Section 8 of the "Bihar Technical Services Commission Act, 2014" stipulates that the selection and recommendation for appointment to all technical Services/Cadres/Posts in Group 'B' and 'C' in various departments and regional offices of the State Government and to all posts of specialist medical officers in the Bihar Health Service Cadre and Bihar Medical Service Cadre under the Health Department, shall be made by the Bihar Technical Services Commission.

AND WHEREAS, since it is desirable to ensure uniformity and transparency in the appointment process for regular technical posts sanctioned by Cabinet under all Boards/ Corporations/ Societies/ Companies (undertakings of the Government of Bihar) in the State of Bihar, it is appropriate that the appointment process for these posts be conducted by the Bihar Technical Service Commission.";

Therefore, in the seventy-seventh year of the Republic of India, the following is hereby enacted by the State Legislature of Bihar;

1. Short title, extent and commencement.-

(i) This Act may be called the "Bihar Technical Services Commission (Amendment) Act, 2026".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Section 8 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) (as amended from time to time).- In Section 8 of the said Act a new proviso shall be added as follows:-

"Provided further that the Commission, shall select and recommend candidates for appointment to regular technical posts sanctioned by Cabinet under all Boards/ Corporations/ Societies/ Companies (undertakings of the Government of Bihar) in the State of Bihar. The procedures for the said appointment shall be determined by the General Administration Department."